बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–8डी0(बजट–आबंटन–2225) 14–10/2016 75

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक ।

सेवा में,

उपनिदेशक(मुख्यालय),
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक– 17.01.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के व्यवासायिक एवं विशेष सेवाएँ ईकाई मद में 15,00,000/–(पंद्रह लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–69 दिनांक 09.01.2017 के द्वारा व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएं के अन्तर्गत पुर्नविनियोग के माध्यम से अतिरिक्त राशि स्वीकृति दी गयी है । वित्तीय वर्ष 2016–17 में गैर योजनान्तर्गत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग मुख्यालय एवं निदेशालय के स्थायी पदों के संधारणार्थ पूर्व में विभागीय आबंटनादेश संख्या 02 दिनांक 18.04.2016, पत्रांक 16 दिनांक 01.06.2016, एवं पत्रांक 20 दिनांक 18.07.2016 द्वारा राशि आबंटित की गई थी । उसी क्रम में व्यवासायिक एवं विशेष सेवाएँ ईकाई मद में 15,00,000/–(पंद्रह लाख रू0) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दिया जाता है ।

2. आबंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 मुख्य शीर्ष–2225–अनु0 जातियों, अनु0 जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–001 निदेशन और प्रशासन–0001–निदेशन एवं प्रशासन के प्राथमिक इकाईयाँ–2801–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाएँ मांग संख्या–44, विपत्र कोड संख्या N-2225010010001 के उचित ईकाईयों के अन्तर्गत विकलनीय है।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपनिदेशक(मुख्यालय), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण होंगे।

4–वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17/04/98 में निहित अनुदेश के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपरोक्त परिपत्र एवं समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत पत्र/परिपत्रों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।

5– राशि की नियमानुसार निकासी एवं समुचित उपयोग का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पर होगी।

6– प्रत्येक माह व्यय विवरणी भेजी जाये।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार) 17/01/17
निदेशक

ज्ञापांक–8डी0(बजट–आबंटन) 05–20/2015 75 पटना, दिनांक– 17.01.17

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, सिंचाई भवन, पटना /वित्त विभाग, बजट शाखा/ निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण/अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति (मुख्यालय)/लेखा शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग (दोहरी प्रति में)/वित्त विभाग, बजट शाखा/सांख्यिकी कोषांग,/प्रशाखा पदा0 8डी0 अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/01/17

ज्ञापांक– 8डी0(बजट–आबंटन) 05–20/2015 75 पटना, दिनांक 17.01.17

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 17/01/17